लापरवाही | गोदामों के फिजिकल वेरिफिकेशन में देरी, आर्थिक संकट में किसान

19 दिन बाद भी किसानों का भुगतान अटका

नवभारत,जबलपुर। जिले में धान उपार्जन प्रक्रिया पूरी हुए 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हजारों किसानों के करोड़ों रुपये का भुगतान अटका हुआ है। उल्लेखनीय है कि धान की खरीदी 20 जनवरी को समाप्त हुई थी, लेकिन 8 फरवरी तक प्रशासनिक स्तर पर गोदामों का फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाया, जिससे भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह ठप रही।

कई किसानों के खातों में नहीं हुई राशि ट्रांसफर

सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रशासन के पास उन किसानों का वास्तविक आंकड़ा तक मौजूद नहीं है, जिन्हें भुगतान नहीं मिला है। उपार्जन पोर्टल पर जिन किसानों के समिति स्तर पर वाउचर जनरेट हो जाते हैं, उन्हें स्वत: भुगतान की श्रेणी में दिखा दिया जाता है। लेकिन अभी भी कई किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर नहीं हुई है। ऐसे में प्रशासन गलत आंकड़ों के आधार पर स्थिति को सामान्य मान रहा है, जबकि जमीन पर हालात इसके विपरीत हैं।

वेरिफिकेशन लंबित से भुगतान रोका

जानकारी के अनुसार कुछ अधिकारियों का कहना है कि गोदामों का फिजिकल वेरिफिकेशन लंबित होने के कारण भुगतान रोका गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई गोदामों में धान की अधिक एंट्री दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी समिति व गोदाम संचालकों पर एनओसी देने का दबाव बना रहे हैं।

जांच भी अधर में लटकी

उपार्जन के समय जिले के कई केंद्रों पर कम वजन की बोरियों और अन्य अनियमितताओं के मामले एसडीएम स्तर तक पंचनामा और जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन ये जांचें आज तक अधर में लटकी हैं। अब फिर से जांच के नाम पर किसानों का भुगतान रोका जा रहा है, जिससे किसान न केवल आर्थिक संकट में हैं बल्कि गहरी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं।

आवारा श्वानों के मामले में दायर याचिका वापस

जबलपुर। आवारा श्वानों को लेकर दायर याचिका मप्र हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शीर्ष अदालत ने कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ अन्य राज्यों से मामले ट्रांसफर हुए हैं। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस पर जनहित याचिका वापस ले ली गई।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का जबलपुर सहित अन्य जिलों में समुचित पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों का आतंक है। उनके काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की मशक्कत सामने होती है। डॉ. नाजपांडे का कहना है कि इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करेंगे।

लखनादौन नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मामले में कोर्ट सख्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित न करने के मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एकलपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे अविश्वास प्रस्ताव के अग्रेषण संबंधी निर्देश प्राप्त करें। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।

यह मामला लखनादौन नगर परिषद के पार्षद सीता राम चौकसे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें आरोप है कि 29 अक्टूबर 2025 को 12 पार्षदों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को कलेक्टर सिवनी द्वारा 20 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को भेजे जाने के बावजूद, इसे अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं भेजा गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधित नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार का कार्य संशोधित कानून के तहत एक मात्र डाकघर (पोस्ट ऑफिस) का है, जिसे प्रस्ताव को आयोग तक पहुंचाना है। निष्क्रियता कानूनी कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना है। याचिका में आरोप है कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजा है, जिससे संपूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि देवरी नगर पालिका के समान मामले में त्वरित कार्रवाई की गई, जबकि उक्त मामले में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, विनीत टेहेनगुनिया, शुभम पाटकर पैरवी कर रहे हैं।

कनिष्ठ की तरह वरिष्ठ को भी प्रदान करें लाभ : हाईकोर्ट

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता को 13 जनवरी 2006 (जिस तिथि से कनिष्ठ को दिया प्रमोशन) से सहायक सचिव पद पर पदोन्नति का लाभ दें। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति के अनुसार याचिकाकर्ता को सभी अनुषांगिक लाभ दिए जाएं। सागर निवासी एसबीएस कौरव की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विभाग ने उक्त पद पर पदोन्नति के लिए ग्रेडेशन लिस्ट जारी की थी। सूची में याचिकाकर्ता का जूनियर श्याम बिहारी शर्मा से ऊपर था। जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया। विभाग में अभ्यावेदन देने के बाद उसने 2008 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने बोर्ड को निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता को उसके जूनियर की तरह प्रमोशन के सभी लाभ प्रदान करें।

जमीन विवाद पर दो पक्ष भिड़े

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत कटरा में जमीन विवाद पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ लोहे के राईजर पाईप, लाठी से हमला कर दिया जिसमें दो लोग घायल हो गए। इसके साथ ही बाइक में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक शनिवार को विशन सिंह लोधी 35 वर्ष निवासी कटरा बेलखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती किसानी करता है उसका गांव के नरेन्द्र लोधी से खेती का विवाद चल रहा है। सुबह लगभग 9 बजे वह अपने घर के सामने रोड़ पर खड़ा था तभी नरेन्द्र सिंह लोधी अपने हाथ में लोहे का राईजर पाईप, माहू उर्फ महेश सिंह ठाकुर डंडा एवं लक्ष्मण सिंह लाठी लेकर आये और जान से मारने की धमकी देते हुये उसके साथ मारपीट करने दौड़े तो वह अपने घर में घुस गया था तो तीनों जबरदस्ती उसके घर के दरवाजे में धक्का देते हुये घर में घुस आये और तीनों लोहे के राईजर पाईप, लाठी से हमलाकर हाथ पैर, जबड़ा, जांघ में चोट पहुँचा दी। वहीं नरेन्द्र सिंह लोधी 30 वर्ष निवासी कटरा बेलखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि विशन सिंह के परिवार से उसका खेती के संबंध में विवाद चल रहा है सुबह लगभग 8-30 बजे वह अपनी मोटर सायकल क्रमांक एमपी 20 एम जे 9395 बजाज डिस्कवर से खेत जा रहा था जैसे ही राम मंदिर के सामने रास्ते में विशन सिंह के घर के पास पहुँचा उसे देखकर विशन सिंह लोधी एवं विशन सिंह का भाई कमल सिंह लोधी, भतीजा विक्रम सिंह, सौरव सिंह सभी उसे देखकर हाथ मुक्कों से मारपीट कर उसे मोटर सायकल से पटक दिया विक्रम एवं सौरभ ने डंडा से हमलाकर उसके हाथ पीठ में चोट पहुँचा दी तथा उसकी मोटर सायकल में तोड़फोड़ कर नुकसान किये।

डीजे प्रतिबंध, 10 बजे तक अनुमति ले बजा सकेंगे दो साउंड बॉक्स

परीक्षाओं को लेकर होटल संचालकों, मैनेजरों की ली बैठक

जबलपुर। डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परंतु यह अनुमति सीमित अवधि व सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे।

यह बातें एएसपी शहर आयुष गुप्ता ने कन्ट्रोल रूम में होटल संचालकों, मैनेजरों की बैठक लेते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2026 जिले के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होंगी। परीक्षाओं व परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो ,साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज परिसर तक ही सीमित रहे यह सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि यातायात अवरूद्ध न हो। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बी.एस. गोठरिया की उपस्थिति में ली गयी।

बस ऑपरेटर सांसद तन्खा से मिले, परिवहन मंत्री के सामने रखेंगे बात

शिवराज सिंह हमारे मित्र विवाद का हुआ पटाक्षेप

जबलपुर, नवभारत। मध्य प्रदेश की नई परिवहन नीति के विरोध में बस ऑपरेटरों ने राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। बस ऑपरेटरों ने सरकार द्वारा वर्तमान संचालित बसों को मार्ग से बाहर करने की जानकारी दी। श्री तनखा ने इस सम्बन्ध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर एवं उनसे मिलने के लिए समय लेकर दिल्ली आने के लिए कहा। शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल श्री तनखा के साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाएगा। ज्ञापन में जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर तिवारी पिंटू भैया, सचिव वीरेन्द्र साहू, कोषाध्यक्ष नसीम बेग, उदय चंद जैन, कल्याण नियोगी, अजय पाठक, प्रहलाद छुगानी, नरेश रजक, संजय समाधियां, दीपेंद्र डोंगरे, दिलीप मंगलानी, संजय शर्मा उपस्थित थे। शनिवार को एसोसिएशन ने विधायक एवं पूर्व केबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। विधायक ने इस नीति को विधानसभा में उठाने और इस नीति को पूरजोर विरोध करने का आस्वासन दिया।

वृद्ध ने लगाई फांसी

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत चौधरी मोहल्ला रामपुर में रहने वाले वृद्ध ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसक फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक राजेन्द्र अहिरवार 32 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला रामपुर ने सूचना दी कि उसके पिता भीम चौधरी 55 वर्ष ने घर के पास स्थित खेरमाई मंदिर के पास पेड में नायलॉन की रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवाते हुये मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्य बाजार के मार्ग गंदगी से सराबोर, जिम्मेदार अनजान

जबलपुर, नवभारत। शहर के मुख्य बाजारों में शुमार तुलाराम चौक से मुकदमगंज मार्ग में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां हर रोज़ बड़ी संख्या में व्यापारी पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त होने के बाद भी परिसर में गंदगी फैली हुई है। बता दे कि बाजार परिसर की सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद भी जगह-जगह कचरा के ढेर लगे हुए और कई जगह आग भी लगा दी जाती है। मुख्य मार्ग में यहां के रहवासियों द्वारा गंदगी फैला दी जाती है। गंदगी के कारण व्यापारियों को बैठने में परेशानी होती है। बता दे कि बाजार में कुछ माह पहले ही सफाई करने की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन यहां कचरे के साथ साथ नाली से फैलने वाला पानी व्यापारियों की नाक में दम कर रहा है। इसके बाद भी अधिकारी यहां की परेशानियों को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं, बाजार में मवेशी भी चौबीस घंटे रहते हैं, जिससे व्यापारी के साथ सभी परेशान हैं। इन्हें परिसर से बाहर करने की जिम्मेदारी हांका गैंग की होती है, लेकिन वह परिसर में नजर ही नहीं आते हैं। बाजार में लोग अपने वाहन भी खड़े कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को ऑटो रिक्शा खड़े करने में परेशानी होती है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण बाजार की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं, जिसका खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ रहा है।

5 .19 लाख के गांजा समेत तस्कर पकड़ाया

नवभारत, जबलपुर। क्राइम ब्रांच एवं गोरखपुर पुलिस ने कार्यवाही कर नयागांव जंगल रोड में दबिश देकर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 10 किलो 380 ग्राम गांजा कीमती 5 लाख 19 हजार रूपये का जप्त किया गया है।

गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि क्राईम ब्रांच एवं गोरखपुर थाने की संयुक्त टीम द्वाराघेराबंदी कर आदित्य उर्फ आदी विश्वकर्मा 19 वर्ष निवासी सिंधी केम्प भवानी चौक थाना हनुमानताल को पकड़ा गया। संदेह होने पर तलाशी लेने पर पहने हुये लोवर की जेब में 210 रूपये तथा दोनों पिट्ठू बैग के अंदर 10 पैकेटों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे मिला, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करते हुये कुल 10 किलो 380 ग्राम गांजा कीमती लगभग 5 लाख 19 हजार रूपये का जब्त किया गया । उक्त गांजा कहॉ से और कैसे प्राप्त किया इसके सम्बंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

गार्डन-पंप में चाकूबाजी, तीन घायल

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत बाजना मठ स्थित गार्डन एवं बरेला स्थित गौर में पेट्रोल पंप में चाकूबाजी हो गई जिसमें तीन लोग घायल हो गए। जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया । तिलवारा पुलिस ने बताया कि शनिवार को हर्ष साहु 19 वर्ष निवासी जे.डी.ए. कालोनी बाजनामठ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर लगभग 01.30 बजे अपने दोस्त अमन पांडेय, राज तिवारी, आयुष तिवारी, के साथ संग्राम सागर गार्डन जे.डी.ए. बाजना मठ में घूमने गया था जहां कृष्ण निवासी गंगानगर का रूपए मांगने लगा मना करने पर चाकू से हमला कर चोट पहुंचा दी। अमन पांडेय, राज तिवारी, आयुष तिवारी ने बीच बचाव किया तो कृष्णा भाग गया। इसी प्रकार गौर सालीवाड़ा स्थित रिलायबल पेट्रोल पंप पर शनिवार शाम में मोटरसाइकिल से पहुंचे दो युवक पहुंचे जो सिगरेट पी रहे थे। जिन्हें पंप कर्मचारी मुकुंद यादव ने मना तो बाइक चालक भड़क गए। कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए चाकूबाजी कर पथराव कर दिया जिसमें मुकुंद समेत दो कर्मी घायल हो गए।

शराब तस्कर को पुलिस ने दबोचा

जबलपुर। अधारताल पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 240 पाव देशी शराब एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त जुपिटर जब्त की गई। टीआई प्रवीण कुमरे ने बताया कि महाराजपुर में घेराबंदी कर लालू पटेल उर्फमंजेश 18 वर्ष निवासी अधारताल को पकड़ा गया। जुपिटर क्रमांक एमपी 20 जेड एन 7690 खड़ी मिली, जिसे लोड थैले को चैक करने पर एक थैली में 140 पाव तथा दूसरे थैले में 100 पाव देशी होना पायी गयी। आरोपी लालू पटेल उर्फमंजेश के कब्जे से 240 पाव देशी शराब एवं शराब घटना में प्रयुक्त जुपिटर जप्त करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

संभागीय कुशवाहा समाज का आदर्श विवाह कार्यक्रम 15 फरवरी को

नवभारत,जबलपुर। संभागीय कुशवाहा समाज जबलपुर के मुख्यालय ''कुशवाहा धाम'' श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर महान सम्राट अशोक चौक गौरीघाट में परंपरा अनुसार इस वर्ष भी 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में अभिषेक, पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके साथ-साथ समाज के अविवाहित युवक-युवतियों का आदर्श विवाह का भी आयोजन किया गया है। समाज के समस्त बन्धुओं से कार्यक्रम में उपस्थित रहकर धर्म एवं पुण्य लाभ अर्जित करें एवं कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

समाज के बन्धुओं से अपने अविवाहित युवक-युवतियों का विवाह महाशिवरात्रि में करवाना है वह अपना आवेदन लेकर के.पी. कुशवाहा मोबाइल नम्बर - 9827007654 एवं महामंत्री दीपक कुशवाहा मोबाइल नम्बर 9425386065 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

100 से अधिक बदमाश तड़ीपार

जबलपुर। अपराधों पर शिकंजा कसने शहर व ग्रामीण अंचल से एक सप्ताह में 100 से अधिक आदतन अपराधियों का जिला बदर प्रकरण तैयार किये गये जिनमें सबसे अधिक कार्यवाही थाना अधारताल, बेलबाग, माढोताल,, रांझी, गोरखपुर, तिलवारा, हनुमानताल, बरेला, पुलिस द्वारा की गयी है। इस कार्यवाही का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने ऐसे अपराधी जो लगातार अपराधों में संलिप्त हैं या जिनके द्वारा भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की प्रबल संभावना है, उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही करने प्रकरण तैयार करने आदेशित किया गया है। एएसपी शहर आयुष गुप्ता, एएसपी अपराध जितेंद्र सिंह, एएसपी यातायात सुश्री अंजना तिवारी, एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा, एएसपी जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला के निर्देशन में शहर एवं ग्रामीण अंचल से एक सप्ताह में 100 से अधिक आदतन अपराधियों का जिला बदर प्रकरण तैयार किये गये।

कार्यक्रम | हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने निगमायुक्त सक्रिय

नगर निगम ने उत्साह के साथ मनाया पीएम स्वनिधि दिवस

नवभारत,जबलपुर। शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर निगम द्वारा छोटे कारोबारियों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को जबलपुर नगर निगम द्वारा पी.एम. स्वनिधि दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस विशेष अवसर पर निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और पी.एम. स्वनिधि के हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार निगम अधिकारियों और बैंकर्स के साथ समीक्षा भी कर रहे हैं। शनिवार को निगमायुक्त स्वयं हितग्राहियों को लाभ दिलाने बैंकों में पी.एम. स्वनिधि के नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त अंकिता जैन के साथ पहुंचे, जहां पर सभी बैंकर्स से अनुरोध किया कि शासन की योजनाओं को सफलता प्रदान करने अधिक से अधिक पी.एम. स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत कर लोन उपलब्ध कराएं।

बैंकर्स को दिया 40-40 का टारगेट

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान निगमायुक्त ने निगम अधिकारियों और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। उन्होंने चर्चा के दौरान सरकार की पवित्र मंशा से अवगत कराते हुए कहा कि नगर निगम जबलपुर आज दिन शनिवार को पी.एम. स्वनिधि दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आप सभी से आग्रह है कि कम से कम पी.एम. स्वनिधि के 40-40 प्रकरण स्वीकृत करें और हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराएं।